


अजमेर


अजमेर

D-8  
आर.डी. मीणा, सदस्य  
कमला अलारिया, सदस्य

21/8/25

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि वकालत अपील द्वारा भंडारण के पूर्व आदेशिका दिनांक 05/7/2025 की पालना क्षाज दिनांक तक नहीं की। अतः प्रकरण अइम तकमील में खारिज की जाती है। पत्रावली बाद कार्यवाही दायिमल दफ्तर हों। आदेश मुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
[Faint text and stamp]

  
[Faint text and stamp]